कार्यवृत्त

मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2021 को सम्पन्न राज्य प्राधिकरण की 14वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 19.07.2021 को मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण / मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण की 14वीं बोर्ड बैठक मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड के विधानसभा स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुई, जिसमें अधिकारियों की निम्नानुसार उपस्थिति रही–

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन / मुख्य प्रशासक, उडा (उपाध्यक्ष)
2. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
3. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
4. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
5. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
6. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (पदेन सदस्य)
7. श्री आनन्द सिंह, वित्त नियंत्रक, उडा (पदेन सदस्य)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु अन्य उपस्थित अधिकारीगण–

1. डा0 अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. श्री आनन्द राम, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. श्री अनुपम शर्मा, प्रभारी सम्पत्ति, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 14वीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में सर्वप्रथम 13वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–01

प्रस्ताव **वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट के सम्बन्ध में।**

निर्णय *Chartered Accountant द्वारा तैयार की गयी विगत तीन वित्तीय वर्ष (2017–18, 2018–19 व 2019–20) की Balance Sheet को वित्त नियंत्रक द्वारा मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त Balance Sheet अनुमोदित की गयी।*

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–02

प्रस्ताव **जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु विकसित किये जा रहे एकीकृत जनरल सर्विसेज मैनेजमेन्ट सोल्यूशन की प्रगति के सम्बन्ध में।**

निर्णय *मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि 13वीं बोर्ड बैठक में आई0टी0 से भिज्ञ कार्मिकों की तैनाती उपनल के माध्यम से किये जाने हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में दिनांक 06.11.2020 को उपरोक्त कार्मिकों को उपनल के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर तैनात किये जाने हेतु समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है।*

दिनांक 15.12.2017 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय तथा जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे में तकनीकी विशेषज्ञ / प्रोग्रामर के पदों हेतु कतिपय जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, नैनीताल) में उक्त पद आउटसोर्स से भरे जाने की व्यवस्था दी गयी है जबकि अन्य शेष जनपदों में तकनीकी विशेषज्ञ / प्रोग्रामर के पदों को नियमावली के अनुसार भरे जाने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त पद के सापेक्ष भर्ती की विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14.07.2021 को प्रस्ताव शासन को प्रेषित

04.08.2021

किया गया है।

उक्त पर मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तकनीकी विशेषज्ञ/प्रोग्रामर के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक समन्वयन कर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को दिशा–निर्देश जारी करें।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–03

प्रस्ताव **उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में संविदा आधार पर तैनात कार्मिकों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णय मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में संविदा आधार पर तैनात कार्मिकों की निरन्तरता शासन द्वारा बढ़ा दी गयी है। तत्क्रम में बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि गत 13वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव कि "तैनात कार्मिकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।" का अनुपालन यदि नहीं किया गया है तो तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य प्राधिकरण कार्यालय में तैनात संविदा कार्मिकों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव कार्मिक एवं वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–04

प्रस्ताव **जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में।**

निर्णय मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि दिनांक 17.03.2021 को मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा मा0 आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में मा0 मंत्री मण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया तथा उक्त प्रकरण मा0 मंत्री मण्डलीय उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यवृत्त शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–05

प्रस्ताव **रूड़की एवं गैरसैण महायोजना निर्माण के सम्बन्ध में।**

निर्णय मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को निर्देश दिये गये कि रूड़की एवं गैरसैण महायोजना निर्माण से सम्बन्धित कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जाय तथा रूड़की एवं गैरसैंण के साथ अन्य शहरों की भी महायोजना तैयार किये जाने हेतु जन प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक रूप से बैठक कर, जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर महायोजना निर्माण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाय।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–06

प्रस्ताव **जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के बजट का अनुमोदन राज्य प्राधिकरण स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णय मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि 13वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के बजट का अनुमोदन कराये जाने की कार्यवाही राज्य प्राधिकरण स्तर से की जा रही है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या को मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–07

प्रस्ताव **सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णय मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–152/XXX(2)/2020/3(1)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त

04.08.2021

अधिकारियों / कार्मिकों की सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या को मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपालन एजेण्डा बिन्दु–08

प्रस्ताव — **जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स के पदों पर कार्मिकों की तैनाती किये जाने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में।**

निर्णय — *मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि आउटसोर्स एजेन्सी M/s Apnatech Consultancy Services Pvt. Ltd. के साथ दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरणों में कार्मिकों की तैनाती किये जाने हेतु शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।*

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 बोर्ड के समक्ष 14वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये, जिन पर विचार–विमर्श करने उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु–01

प्रस्ताव — **वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट के सम्बन्ध में।**

विवरण — वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय के प्रस्ताव का विवरण अनुलग्नक–01 पर प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण को विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियां रू0 5610.35 लाख के सापेक्ष व्यय रू0 5391.36 लाख प्रस्तावित है। अतः प्राधिकरण आय–व्यय का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय — *मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त राज्य प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट (प्राप्तियां रू0 5610.35 लाख के सापेक्ष व्यय रू0 5391.36 लाख) का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अवस्थापना मद में पार्किंग परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य अवस्थापना के कार्य भी किये जायें।*

एजेण्डा बिन्दु–02

प्रस्ताव — **जनपद देहरादून में ग्राम चालंग की भूमि पर राजकीय कार्यालय एवं आवासीय परिसर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

विवरण — सचिव, आवास, उत्तराखण्ड आवास को पृष्ठांकित जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–166 / 12ए–250 / (2014–2017)डी0एल0आर0सी0, दिनांक 13.04.2017 द्वारा आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को राजकीय कार्यालय की स्थापना तथा राजकीय आवासीय परिसर निर्माण हेतु ग्राम चालंग, परगना परवादून, तहसील सदर, जनपद देहरादून के खाता खतौनी संख्या–00466 के खसरा संख्या–74 मध्य 1.6 हे0 अन्तर्गत श्रेणी 5(3)ख(2) जंगल झाड़ी (गांव समाजों में निहित) भूमि को आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क आवंटित की गयी। उक्त भूमि पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तराखण्ड मेट्रो तथा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद का कार्यालय भवन तथा आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–42 / V–2–2021 / 85(आ0)2016, दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा उक्त कार्य के क्रियान्वयन / पूर्ति हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को नामित किया गया। कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक–52 / उडा–09(1) / 2014, दिनांक 17.04.2021 द्वारा पत्र प्रेषित

24.08.2021

किया गया।

उक्त भूमि पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तराखण्ड मेट्रो तथा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद का कार्यालय भवन तथा आवासीय परिसर का निर्माण कार्य किये जाने हेतु आगणन अनुसार सम्बन्धित विभागों से अंशदान लिये जाने पर यदि निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो अवशेष धनराशि की पूर्ति किये जाने हेतु अन्य वित्तीय संस्थानों से धनराशि ऋण के रूप में ली जा सकती है। अतः प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्देश दिये गये कि जनपद देहरादून में ग्राम चालंग की भूमि पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तराखण्ड मेट्रो, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जाय तथा कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक बजट की मांग हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को अतिशीघ्र प्रेषित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु-03

प्रस्ताव

Electronic Authority Services Enabling Application (eASE App) विकसित किये जाने हेतु कोविड महामारी के कारण कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में।

विवरण

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों एवं राज्य प्राधिकरण हेतु ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति, समस्त जनसेवा सम्बन्धित सेवाएँ एवं प्राधिकरण के समस्त आन्तरिक कार्यों का सम्पादन Online किये जाने हेतु एकीकृत Web Based Online System विकसित करने के लिए राज्य प्राधिकरण (उडा) द्वारा तैयार कराये जा रहे Electronic Authority Services Enabling Application (eASE App) शीघ्र-अतिशीघ्र समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाना है, जिस हेतु कार्यदायी संस्था M/s CSII India Pvt. Ltd. का चयन किया गया था, जिस सम्बन्ध में सचिव, परिवहन एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-371/व0नि0स0/2020, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 द्वारा कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू किये जाने जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। कार्यदायी संस्था के साथ दिनांक 10 जनवरी, 2020 को निष्पादित अनुबन्ध (हस्ताक्षरित दिनांक 13.01.2020) के अनुसार अनुबन्ध 03 वर्ष हेतु किया गया है, जिसमें 01 वर्ष के भीतर Development, implementation of the proposed platform तथा 02 वर्ष ए0एम0सी0 के लिए निर्धारित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कुल कार्य की लागत रू0 6,52,50,000.00 है। इसके अतिरिक्त ए0एम0सी0 हेतु रू0 75,34,000.00 की राशि अनुबन्धित की गयी है। उपरोक्त दरें जी0एस0टी0 के अतिरिक्त है।

दिनांक 10.01.2020 (हस्ताक्षरित दिनांक 13.01.2020) को हुए अनुबन्ध के उपरान्त दिनांक 18.01.2020 को हुई प्रथम बैठक (Kick Off meeting) के अन्तर्गत प्रोजेक्ट से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही पर विचार-विमर्श करते हुए कार्यदायी संस्था को उचित दिशा-निर्देश दिये गये।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्यदायी संस्था M/s CSII India Pvt. Ltd. द्वारा 01 वर्ष की अवधि में निम्नवत Modules विकसित किये जाने प्रस्तावित थे:-

1- Online Building Permit Approval Management System
2- Unauthorized Construction Management System
3- Public Grievance Redressal Management System
4- Right to Information
5- Human Resource Management System & Payroll
6- File Movement System (DAAK Management System)

04.08.2021

7- Planning Section including Nazool Land Management
8- Legal Case Management System
9- Purchase &Stores Management System
10- Property & Land Asset Management System
11- Finance & Accounts Management System
12- MIS, Reports & Access administration & Management System

उपरोक्त 12 Modules में से कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान में समस्त जनपदों में 08 Modules live कर दिये गये हैं, जो निम्नवत् है:–

1- Document Management
2- HR Management
3- Finance /Accounts Management
4- Project Management
5- Puchase/Inventory Management(Stores & Asset Management)
6- Planning Section Management including NAZOOL
7- Legal Case Management
8- Property & Land Management System

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.06.2021 द्वारा live किये गये 08 Modules की जनपदवार अद्यतन स्थिति प्रेषित की गयी है तथा उक्त 08 Modules के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को किये गये भुगतान की धनराशि का विवरण प्रस्तुत है।

निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार Development, implementation of the proposed platform की अवधि 12 जनवरी, 2021 को समाप्त हो गयी है, जिस क्रम में कार्यदायी संस्था CSII India Pvt. Ltd. द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा 1st Phase के अन्तर्गत निर्धारित 4 Modules के कार्य पूर्ण किये जाने में कोविड–19 के कारण हुए विलम्ब हेतु 05 माह की समयवृद्धि चाही गयी थी, जिसके सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के उच्च अधिकारीगण द्वारा सुझाव दिया गया कि "बिना किसी वित्तीय भार वहन किये 03 माह की समयवृद्धि पर विचार किया जा सकता है तथा इस शर्त के साथ ही पुनः समय में कोई वृद्धि नहीं दी जायेगी।" उक्त सुझाव पर मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2021 तथा दिनांक 20.03.2021 में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति होने तथा उनके कार्मिकों के भी कोरोना संक्रमित होने से उक्त सॉफ्टवेयर निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 08 माह की समयावधि दिये जाने का अनुरोध किया गया था तथा पुनः पत्र दिनांक 22.06.2021 द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त मॉडयूल्स को डिलीवर किये जाने हेतु 31.12.2021 की समयावृद्धि दिये जाने हेतु आग्रह किया गया है।
कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम हेतु पूरे भारत देश में दिनांक 21.03.2020 से लॉकडाउन लागू रहा। उक्त लॉकडाउन अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा अपना कार्यालय परिसर भी बन्द रखा गया था तथा राज्य प्राधिकरण भी बन्द होने के कारण नवीन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से सम्बन्धित विकास कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। विकास कार्य किये जाने हेतु चरणों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका और शर्तों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा कोविड महामारी के कारण तथा उनके कार्मिकों के भी कोरोना संक्रमित होने से अनुबन्ध के अनुसार Deliverables समय पर उपलब्ध न करा सकने की असमर्थता के दृष्टिगत अनुबन्ध को बढ़ाये जाने का आग्रह किया गया। उक्त के सम्बन्ध अवगत कराना है कि इस हेतु कार्यदायी संस्था को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा एवं कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। अतः कार्यदायी संस्था को कार्य समाप्ति हेतु दिनांक 31.12.2021 तक की समयावृद्धि दिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय *मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए कार्यदायी संस्था को दिनांक 31.12.*

24.08.2021

2021 तक की समयावृद्धि दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि दिनांक 31.12.2021 के पश्चात् उक्त कार्य हेतु समय विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये:-

1. आवासीय मानचित्रों हेतु 15 दिवस तथा व्यावसायिक मानचित्रों हेतु 30 दिवस के अन्तर्गत ही मानचित्र स्वीकृति किये जाने का अनुपालन आवश्यक रूप से किये जाने हेतु समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को निर्देश जारी किये जायें। इस अवधि में मानचित्र स्वीकृत न होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाय।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान अविलम्ब रूप से बिल प्राप्ति से एक माह की अवधि के अन्तर्गत कर लिया जाय।
3. परियोजना हेतु Third Party Auditor की नियुक्ति किये जाने तथा Third Party Auditor द्वारा Audit किये जाने के पश्चात् पूर्व प्रेषित बिल से कटौती की गयी 35 प्रतिशत धनराशि को निर्गत की जाय।

एजेण्डा बिन्दु-04

प्रस्ताव

Uttarakhand Transferable Development Rights (TDR) Policy Draft के सम्बन्ध में।

विवरण

मुख्य प्रशासक, उडा द्वारा दिनांक 04.02.2021 को दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि नीति आयोग द्वारा Transferable Development Rights-Guidelines for implementation of TDR tool for achieving urban infrastructure transition in India तैयार कर समस्त राज्य सरकारों को प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य में सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में Transferable Development Rights Guidelines/ Policy बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या-D.O. No. K-14011/36/2020-AMRUT-IIA, दिनांक 02.02.2021 में निर्देश दिये गये है। उक्त के आधार पर अवगत कराना है कि राज्य सरकार हेतु TDR Policy Draft बनाये जाने हेतु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व गुजरात आदि राज्यों की TDR Policy का अध्ययन किया गया तथा समेकित अध्ययन किये जाने के पश्चात् राज्य हेतु Uttarakhand Transferable Development Rights (TDR) Policy Draft तैयार किया गया है। प्रस्ताव पॉलिसी दिनांक 04.03.2021 को निर्णय लिये जाने हेतु शासन को पत्र संख्या-2207/उडा-571/2021 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। दिनांक 09.03.2021 को सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बैठक की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि Uttarakhand Transferable Development Rights (TDR) Policy के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड़ का सहयोग लेते हुए नीति प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

उक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 23.03.2021 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड़ को TDR Policy के सम्बन्ध में बैठक किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड़ द्वारा TDR Policy पर अभिमत प्रेषित किया गया है।

Revised Uttarakhand Transferable Development Rights (TDR) की ड्राफ्ट नीति के क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 06.04.2021 को कतिपय सुझाव प्रेषित किये गये, जिस सम्बन्ध में दिनांक 24.04.2021 तथा पुनः दिनांक 29.05.2021 को बैठक आहुत की गयी। इस सम्बन्ध में कार्यालय

04.08.2021

पत्रांक–154/उडा–571/2021, दिनांक 05.06.2021 द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से TDR नीति पर स्पष्ट अभिमत अपेक्षित किया गया। तत्क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–967/नग्रानि/उडा/ 2020–21, दिनांक 21.06.2021 द्वारा सुझाव दिया गया कि TDR नीति का संशोधित प्रारूप उपयुक्त प्रतीत होता है एवं जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु Ukpublicconsultation.in तथा उडा की website पर प्रकाशित किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया है कि चूंकि TDR नीति में भू–खण्ड के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जाना अपेक्षित है। उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 में TDR हेतु प्राविधान विधिक रूप से समावेशित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उक्त TDR नीति को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को Final Draft किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। TDR नीति का उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 में प्राविधान किया जाना है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से Final Draft प्राप्त होने के पश्चात् TDR नीति को शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा TDR नीति के प्राविधान उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अतः प्रस्ताव मा0 बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

मा0 बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को निर्देश दिये गये कि TDR Policy का Final Draft एक सप्ताह की अवधि में उडा को प्रेषित किया जाय तथा उडा द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 में TDR हेतु प्राविधान के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए TDR Policy Draft को शासन को प्रेषित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–05

प्रस्ताव

Electronic Authority Services Enabling Application (eASE App) के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली का प्रयोग Common Service Center (CSC) के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

विवरण

राज्य में CSC (कॉमन सर्विस सेन्टर) द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के दृष्टिगत ऑनलाइन मैप अप्रुवल सिस्टम को भी कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा आमजन को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सम्मिलित किया जाना है, जिससे आमजन को दूरस्थ क्षेत्रों से मानचित्र ऑनलाइन जमा किये जाने की सुविधा प्रदान की जा सकें। सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में CSC (कॉमन सर्विस सेन्टर) द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के दृष्टिगत ऑनलाइन मैप अप्रुवल सिस्टम को भी Common Service Center (CSC) द्वारा आमजन को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। आमजन की सुविधा हेतु Common Service Center (CSC) के माध्यम से एकल आवासीय भवनों हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सहयोग से Pre Approved Map भी तैयार कराये गये हैं। इस प्रक्रिया में आवेदनकर्ता अपने भू–खण्ड क्षेत्रफल के आधार पर ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पोर्टल में उपलब्ध करायी गयी Pre Approved Design Map के विकल्पों में से स्वयं हेतु मानचित्र का चयन कर सकता है तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर संचालित Common Service Center (CSC) से Pre Approved Map जमा कर सकता है। Pre Approved Design Map नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मानचित्रों को तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। Common Service Center (CSC) के प्रतिनिधि श्री ललिल बोरा द्वारा दिनांक 08.06.2021 को प्रेषित मेल पर Common Service Center (CSC) का integration Ease App के साथ किये जाने से सम्बन्धित सूचना प्रेषित की गयी है।

Common Service Center (CSC) के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति की

04.08.2021

प्रक्रिया के जानकारी हेतु Village Level Entrepreneurship (VLE) के प्रथम चरण के प्रशिक्षण जनपद ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, टिहरी तथा चमोली में पूर्ण कर लिये गये हैं तथा अन्य जनपदों हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से प्राप्त Pre Approved Design Map के Structural Safety Certificate को प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक–183/उडा–546 (1)/2020–21, दिनांक 11.06.2021 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड़ से 03 विकल्पों पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जो निम्नवत् है:–

1. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्रों पर भवन उपविधि के Chapter-VI की तालिका 6.1(अ) में दिये गये प्राविधान के आधार पर भवन मानचित्र, नींव एवं सुपर स्ट्रक्चरल की डिजाईन में भूकम्परोधी एवं अन्य सुसंगत कोड के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
2. आवास विभाग में सूचीबद्ध अधिकृत Structural Engineers से प्राप्त मानचित्रों पर निःशुल्क Structural Safety Certificate को प्राप्त करें।
3. अधिकृत Structural Engineers द्वारा मानचित्रों हेतु Structural Safety Certificate निःशुल्क न दिये जाने की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय प्रस्ताव मांगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से Structural Safety Drawing/ Certificate प्राप्त होते ही Common Service Center (CSC) के माध्यम से Pre Design Map Approval System को लागू कर दिया जायेगा। अतः प्रस्ताव बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

मा0 बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को निर्देश दिये गये कि Structural Safety Drawing/Certificate एक सप्ताह की अवधि में उडा को प्रेषित किया जाय ताकि Common Service Center (CSC) के माध्यम से Pre Design Map Approval System को लागू कर सके।

<u>एजेण्डा बिन्दु–06</u>

प्रस्ताव

राज्य में वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

विवरण

सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में राज्य में वाहन पार्किंग की सुविधाओं को विकसित किये जाने तथा वाहन पार्किंग निर्माण हेतु निजी सहयोग को बढ़ाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए वाहन पार्किंग निर्माण नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। वाहन पार्किंग नीति के प्रस्ताव के अन्तर्गत मुख्यतः 4 मॉडल प्रस्तावित किये गये हैं–

1. राजकीय विभागों/विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार की भूमि में वाहन पार्किंग निर्माण
2. विकास प्राधिकरणों द्वारा निजी भूमि में वाहन पार्किंग निर्माण
3. लोक–निजी सहभागिता (Public Private Partnership) के आधार पर निजी निर्माणकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार की भूमि पर वाहन पार्किंग निर्माण
4. निजी भू–स्वामियों/निजी निर्माणकर्ताओं द्वारा निजी भूमि पर वाहन पार्किंग निर्माण

उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति पर सुझाव प्राप्त किये गये तथा दिनांक 19.09.2020 को दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक जागरण व हिन्दुतान टाईम्स को आमजन से सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया, तत्पश्चात् दिनांक 01.04.2021 को शासन के

04.08.2021

निर्देशानुसार आमजन से सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया। इस क्रम में ई–मेल पर मात्र एक सुझाव श्री खुरशीद अहमद सिद्धकी का प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक–146/उडा–492/2019–20, दिनांक 03.06.2021 द्वारा उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति पर श्री खुरशीद अहमद सिद्धकी से प्राप्त सुझाव का तकनीकी परीक्षण करने तथा उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति की समीक्षा कर पार्किंग नीति पर सुझाव लिये जाने हेतु को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित किया गया।

उत्तराखण्ड वाहन पार्किंग नीति में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से सुझाव प्राप्त होते ही सुझावों को समावेशित करते हुए Final Draft उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होते ही शासन को नीति प्रेषित कर दी जायेगी। अतः प्रस्ताव बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

मा0 बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को निर्देश दिये गये कि वाहन पार्किंग नीति के सुझाव एक सप्ताह की अवधि में उडा को प्रेषित किया जाय ताकि उडा द्वारा सुझावों को समावेशित करते हुए अंतिम प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके।

अन्य एजेण्डा बिन्दुः– मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार।

राज्य के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting) के प्राविधानों के अनुपालन की जांच किये जाने हेतु नियोजन विभाग से समन्वय कर सर्वेक्षण पूर्ण किया जाय तथा वर्तमान तक कितने भवनों में वर्षा जल संग्रहण हेतु उपाय किये गये हैं, के सम्बन्ध में आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि सर्वेक्षण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें।

अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(शैलेश बगोली)
मुख्य प्रशासक

पत्रांक– 407 /उडा–24(4)/बोर्ड बैठक/2020–21, दिनांक–04.08.2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
9. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा, कुमाऊँ परिक्षेत्र, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
10. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
12. बैठक में उपस्थित मा0 सदस्य एवं अधिकारीगण।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
04.08.2021
(डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी)
संयुक्त मुख्य प्रशासक